नई प्रोत्साहन नीति से मुरादाबाद के छोटे निर्यातक भरेंगे कारोबारी 'उड़ान'

मेहंदी अशरफी • जागरण

मुरादाबाद : टैरिफ के बाद छोटे निर्यातकों को प्रदेश सरकार की नई प्रोत्साहन नीति गेमचेंजर साबित होगी। ई-कामर्स और लाजिस्टिक्स सब्सिडी छोटे निर्यातकों के लिए संजीवनी से कम नहीं होगी। प्रदेश सरकार की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 लागू होने से छोटे निर्यातकों को नई ताकत मिलेगी।

प्रदेश सरकार निर्यातकों को इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र, ई-कामर्स आनबोर्डिंग सहायता, निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, डाकघर निर्यात केंद्र सहायता, निर्यात क्रेडिट, इंश्योरेंश सहायता योजना के शामिल होने के बाद वह छोटे आर्डर विदेशों में भेज सकेंगे। सीडी-सीएफएस रियायत (इनलैंड कंटेनर डिपोट-कंटेनर फ्रेड स्टेशन सब्सिडी) का निर्यातकों को लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम खासकर मुरादाबाद जैसे लैंडलाक्ड क्लस्टर्स के लिए अहम होगा। मुरादाबाद में 3000 के करीब निर्यात इकाईयां हैं। जिसमें तकरीबन 70 प्रतिशत छोटी इकाईयां हैं। जो सालभर में पांच करोड़ से कम का कारोबार करती हैं। इस नीति से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

छोटे निर्यातक ई-कामर्स और डाकघर निर्यात योजना के तहत छोटे आर्डर भी सीधे यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक भेज पाएंगे।

प्रमाणन सहायता (सर्टिफिकेशन सब्सिडी) से आइएसओ 9001-2015, सेडेक्स (सेडेक्स), बीएसई (बीएसई) जैसे मानकों को पूरा करना आसान होने के साथ ही न केवल विदेशी खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि बड़े आर्डर मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। मुरादाबाद से विदेशों में सालभर में करीब 11 हजार करोड़ का कारोबार होता है।

इसमें एक बड़ा हिस्सा छोटी इकाईयों से आता है। जो अब तक ऊंचे लाजिस्टिक्स खर्च और ई-कामर्स आनबोर्डिंग लागत की वजह से दबाव में था। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 केवल एक वित्तीय पैकेज नहीं, बल्कि मुरादाबाद की कारीगरी और परंपरा को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की ठोस रणनीति है। इससे छोटे निर्यातक आत्मनिर्भर बनेंगे और बड़ी यूनिट को विस्तार मिलेगा। पांच लाख से अधिक कारीगर परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित होगी।

3000 कुल निर्यात इकाइयां | **70** प्रतिशत छोटी निर्यात इकाइयां | **11** हजार करोड़ का सालभर में कारोबार | **5** लाख से अधिक कारीगरों को योजना से लाभ

इसमें यह मिलेगी सब्सिडी

आइसीडी-सीएफएस (इंलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्रैट स्टेशन) सब्सिडी दी जाएगी। जिससे एलसीएल (लैसदैन कंटेनर लोड) शिपमेंट्स पर लागत घटेगी। यह मुरादाबाद जैसे लैंडलाक्ड क्लस्टर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगी। एयर फ्रेट सब्सिडी में अब एयर कार्गो पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 150 प्रति किलो (10 लाख तक) की सहायता। इससे अमेरिका और यूरोप में अर्जेन्ट शिपमेंट्स भेजना भी संभव होगा। ई-कामर्स आननबोर्डिंग सब्सिडी के तहत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओएनडीसी जैसे प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन, डिजिटल कैटलागिंग और लाजिस्टिक्स लागत का 75 प्रतिशत तक (अधिकतम तीन लाख) खर्च सरकार देगी।

सर्टिफिकेशन सब्सिडी से आईएसओ 9001-2015, सेडेक्स और बीएससीआई जैसे मानक हासिल करना आसान होगा। वैश्विक खरीदारों की मांग पूरी करना संभव होगा।

राहुल ढल, निर्यातक

आईसीडी-सीएफएस सब्सिडी लैंडलाक्ड क्लस्टर मुरादाबाद के लिए राहत है। एलसीएल कंसाइनमेंट्स पर लागत कम होगी और छोटे निर्यातक मजबूत होंगे।

हरविंदर सिंह, निर्यातक

ई-कामर्स आनबोर्डिंग असिस्टेंस छोटे निर्यातकों को अमेजन, एट्सी और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफार्म पर ले जाएगी। नए ग्राहकों तक सीधी पहुंच खुलेगी।

विवेक मुंजियाल, निर्यातक

मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस और एमआइसीइ सपोर्ट बढ़ने से हमें विदेशी फेयर्स और एग्जीबिशंस में अधिक विजिबिलिटी मिलेगी। जिससे नए बायर्स जुड़ेंगे।

अनुभव अग्रवाल, निर्यातक

नई नीति में शामिल प्रमुख लाभ

एमडीए (मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस) बढ़ी हुई। विदेशी मेलों में स्टाल बुक करने पर 3.25 लाख तक मिलेंगे। एयर टिकट पर 1.25 लाख रुपये तक मिलेंगे। घरेलू अंतरराष्ट्रीय मेलों में स्टाल के लिए 75,000 हजार और हवाई यात्रा पर 30,000 तक, डिजिटल मार्केटिंग और कैटलागिंग के लिए एक लाख तक, विदेशी बायर्स को सैंपल भेजने पर दो लाख तक, विदेशी उत्पाद सर्टिफिकेशन पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख तक की सहायता का लाभ होगा।